न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 27/2024/दावा/बउनवान/रतनलाल बनाम आणंदी वगै0

जीसीएमएस संख्या :– 2024/79

01. रतनलाल पुत्र मन्ना जी जाति बैरवा निवासी जिला बारां हाल डी. सी. एम. कोटा

..........वादी

बनाम

01. आणंदी पुत्री गोबरया जाती बैरवा
02. आनन्दीलाल पुत्र गोबरया जाती बैरवा
03. केसर बाई पत्नि स्व० बद्रीलाल जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    3/1 नरेन्द्र पुत्र बद्रीलाल
    3/2 ललिता बाई पुत्री बद्रीलाल
    3/3 गीता बाई पुत्री बद्रीलाल
    3/4 जगदीश पुत्र बद्रीलाल
04. किशनलाल पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    4/1 जोधराज पुत्र किशनलाल बैरवा
05. गणपत लाल पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    5/1 जगदीश बैरवा पुत्र गणपत लाल
    5/2 मधु बाई पत्नि गणपत लाल
    5/3 किरण बाई पुत्री गणपत लाल
06. चतुर्भूज पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    6/1 केला बाई पत्नि चतुर्भूज बैरवा
    6/2 हंसराज पुत्र चतुर्भूज बैरवा
    6/3 धनराज पुत्र चतुर्भूज बैरवा
    3/4 राकेश कुमार पुत्र चतुर्भूज बैरवा
    6/5 शशि बाई पुत्री चतुर्भूज बैरवा
    6/6 इन्द्रा बाई पुत्री चतुर्भूज बैरवा
07. दोला पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    7/1 केशर बाई बेवा दोला
    7/2 शम्भूदयाल पुत्र दोला
    7/3 प्रेम बाई पुत्री दोला
    7/4 बसन्ती बाई पुत्री दोला
    7/4 राजकुमार पुत्र भैरूलाल पौत्र दोला
08. नारायणी पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    8/1 मोहनी बाई पुत्री माता नारायणी पिता मोडूलाल बैरवा
    8/2 कान्ती बाई पुत्री माता नारायणी पत्नि गोरधन
    8/3 लटूरलाल पुत्र माता नारायणी पिता कन्हैयालाल
    8/4 राजूलाल पुत्र माता नारायणी पिता कन्हैयालाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

09\. मूलचन्द पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
9/1 मोहनी पुत्री मूलचन्द बैरवा पत्नि धन्नालाल
9/2 जगन्नाथ पुत्र मूलचन्द बैरवा
9/3 बाबूलाल मालवीय पुत्र मूलचन्द
9/4 प्रमोद कुमार बैरवा
निवासी मांगरोल जिला बारां।
10\. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारा।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वकील वादीः– श्री एहतशामुद्दीन/वादी स्वयं
वकील प्रतिवादीगणः–श्री हरिओम यादव/प्रतिवादीगण स्वयं
दायरा दिनांकः 29.10.2024 निर्णय दिनांक : 23.05.2025

निर्णय
कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

01\. यह कि वादी एवम् प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा मे निम्न विवरण की आराजी स्थित है।

विवरण आराजी ग्राम मांगरोल

क.सं.	खसरा सं.	रकबा
1	1260	0.87 हे0 बरानी 1
2	1261	0.19 हे0 बरानी 1
3	1262	0.81 हे0 बरानी 1
	कुल किता 3	रकबा 1.87 हे0 लगानी 18.7000

02\. यह कि उपरोक्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा प्रति० न01 का 1/32 हिस्सा प्रति० न02 का 1/32 हिस्सा प्रति० न03 का 1/10 हिस्सा प्रति० न04 का 1/32 हिस्सा, प्रति० न० 5 का 1/32 हिस्सा प्रति० न० 6 का 1/10 हिस्सा प्रति० न० 7 का 1/32 हिस्सा, प्रति० न० 7 का 1/32 हिस्सा, प्रति० न० 8 का 1/10 हिस्सा, प्रति० न० 9 का 1/32 हिस्सा प्रति० न० 10 का 1/10 हिस्सा प्रति० न० 11 का 1/32 हिस्सा प्रति० न० 12 का 1/32 हिस्सा, प्रति० 13 का 1/10 हिस्सा निहित है तथा वादी एवम प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है।

03\. यह कि प्रति० न० 3 केसर प्रति० न० 4 किशनलाल, प्रति० न० 5 गणपत, प्रति० न० 7 चतुर्भुज प्रति० न० 9 दोला प्रति० न० 11 नारायणी प्रति० न० 12 मूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिसान जो वाद में प्रति० बनाये गये हैं इनके हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त है।

04\. यह कि वादी एवम प्रति० के मध्य आये दिन काश्तकारी मे एवम लगान आदि जमा कराने में झगडा होता रहता है। वादी द्वारा कई बार प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहराष्ट
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

नियमानुसार बंटवारा करवाने तथा पृथक खाता व लगान कायम करवाने के लिये कहा हर बार प्रतिवादीगण टालम टूल करते हैं तथा उक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा नहीं करवा रहे हैं।

05. यह कि प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ती आ रही है तथा वह उपरोक्त आराजी का बिना विधिक बंटवारा हुये उक्त आराजी को खुर्द बुर्दकरने पर आमादा हो रहे हैं जिनका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

06. यह कि वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वाद पेश करके उपरोक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा करवाकर अपने हिस्से आराजी का पृथक खाता व लगान कायम करवावे।

07. यह कि वादी द्वारा अंतिम बार प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा करवाने की दिनांक 30–6–2024 को कहने पर तथा उनके द्वारा साफ इन्कार होने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार है।

08. यह कि उपरोक्त आराजी ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा में स्थित होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

09. यह कि उक्त वाद में राज० सरकार को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है।

10. यह कि वाद का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

11. यह कि उक्त वाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

12. यह कि वादी द्वारा पूर्व में उपरोक्त आराजी का बंटवारे का वाद पेश नहीं किया गया है यह प्रथम वाद है।

अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री सादिर फरमाई जावे–

–कि वाद पत्र की मद न01 में वर्णित आराजी का वादी एवम् प्रतिवादीगण न. 01 लगायत 13 के बीच विधिवत जमांबदी राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को उपरोक्त आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी जमीन बंटवारे में दिलाई जाकर वादी का पृथक खाता व लगान कायम किया जाकर वादी को मौके पर बंटवारे में प्राप्त भूमि पर भौतिक कब्जा दिलाया जावे उक्त भूमि का वादी को बंटवारे मे प्राप्त भूमि का पृथक नक्शा कायम किया जावे।

–कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण न. 01 लगायत 13 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि पर किसी प्रकार की बेजा मदाखलत एवम् मजामहत न तो स्वयं करें और न अपने किसी एजेन्ट से करवावें तथा वादी को शांति पूर्वक काश्त करने दे

–कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

–कि अन्य जो न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 जरिये कायममुकामान द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. यह कि वादी एवम् प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां में आराजी स्थित होना स्वीकार है तथा जो विवरण दिया गया है। वह भी स्वीकार है।

विवरण अराजी ग्राम मांगरोल

क्रम	ख.न.	रकबा
1	1260	0.87 है0,
2	1261	0.19 है0,
3	1262	0.81 है0,

2. यह कि वाद पत्र की मद नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 स्वीकार एवं मद नं0 8, 9, 10, 11, 12 कानूनी है।

3. वाद पत्र की समस्त मदें स्वीकार है। प्रार्थना वादी स्वीकार है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर नियमानुसार बंटवारा फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा जरिये कायममुकामान जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. यह कि वाद पत्र की मद नं0.1 स्वीकार है।

2. यह कि वाद पत्र में वादी प्रतिवादी का आरजी में हिस्सा निहित होना स्वीकार है लेकिन आराजी ख0. नं0. 1261, 1262 वाके माल मांगरोल पर प्रतिवादीगण क्रम 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 काबिज काश्त हैं तथा वादी व शेष प्रतिवादीगण ख0. नं0. 1260 पर काबिज काश्त है।

3. यह कि मद नं0. 4 में वर्णित केसर , किशनलाल, गणपत चतुर्भुज, दोला, नारायणी, मूलचन्द का स्वर्गवास होना स्वीकार है तथा प्रतिवादी क्रम 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, खसरा नं0. 1261, 1262 पर काबिज काश्त हैं। उक्त ख0. नं0. पर अन्य कोई वादी प्रतिवादी काबिज काश्त नहीं है।

4. यह कि वाद पत्र में वर्णित वादी एवं प्रतिवादी के मध्य काश्तकारी एवं लगान को लेकर झगड़ा होना अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादीगण 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 ख0. नं0. 1261,1262 पर काबिज काश्त हैं और उसका लगान भी स्वयं अदा करता है। शेष मद मनगडंत है।

5. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी को खुर्द बुर्द करना अस्वीकार है तथा प्रतिवादीगण 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 को विधिक बंटवारे में कोई आपति नहीं है तथा उसको

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उनका हिस्सा उनके काबिज काश्त वाले ख0. नं0. 1261, 1262 में ही दिया जावे जिस पर उनका 70 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है।

6. यह कि वाद पत्र की मद नं.5 स्वीकार है।

7. यह कि वाद पत्र की मद नं. 6 में वर्णित वाद कारण उत्पन्न होना अस्वीकार है। क्योंकि वादी ने प्रतिवादी क्रम 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, से वंटवारा के लिये कभी नहीं कहा

8. यह कि वाद पत्र की मद नं0. 7, 8, 9, 10 कानूनी है।

9. यह कि वाद पत्र की मद नं0. 11 स्वीकार है।

प्रार्थना वादी अस्वीकार है।

वाद पत्र में मद नं0. 1 में वर्णित ख0. नं0. 1261, 1262 पर प्रतिवादीगण पिछले 70 वर्ष से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण क्रम 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 को वंटवारा में उनके काबिज काश्त वाले ख0. नं0. 1261, 1262 में उनका हिस्सा दिया जावे तथा वादी ख0. नं0. 1260 पर काबिज होने से उसका हिस्सा ख0. न0. 1260 में दिया जावे।

वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण शामलाती खाते में सह–खातेदार है। सह–खातेदार होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आये दिन समस्या का सामना करना पडता है। वादी एवं प्रतिवादीगण सह–खातेदार होने से शामलाती खाते का बंटवारा करवाकर खाता पृथक करवाने के अधिकारी हैं।

पक्षकारान स्वयं कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में उपस्थित आए। वादी एवं प्रतिवादीगण ने कोर्ट कैम्प में आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमति जाहिर की। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमत है। अतः वाके माल मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित खाता सं० 806 की खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.87 हेक्टयर, खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.19 हे0, खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.81 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.87 हेक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार पृथक से दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में मजमेआम दिये गये। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया कि तदनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर कोर्ट कैम्प में पेश करे।

तहसीलदार मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार **ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल** की आराजी का बंटवारा निम्नानुसार वादीगण के मध्य किया जाता है:–.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

वादी

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	लगान	दिशा
1	रतनलाल पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा. देह खातेदार रहन–हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा मांगरोल	1260	0.87	8.70	सम्पूर्ण
2	आणंदी पुत्री गोबरया हिस्सा 3/47 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	1261	0.07	0.70	दक्षिणी
3	आदन्दीलाल पुत्र गोबरया हिस्सा 3/47 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
4	इंद्राबाई पुत्री चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
5	कैलाशबाई पत्नि स्व. चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
6	कांताप्रसाद पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
7	धनराज पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
8	राकेश पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
9	राशिबाई पुत्री चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
10	हंसराज पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
11	केसरबाई पत्नि स्व. दोला हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
12	प्रेमबाई पुत्री दोला हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
13	शम्भूदयाल पुत्र दोला हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
14	कान्तिबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
15	मोहिनीबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
16	राजूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
17	लटूरलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
18	किरणबाई पुत्री गणपतलाल हिस्सा 3/94 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
19	जोधराज पुत्र गणपतलाल हिस्सा 3/94 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
20	जगन्नाथ पुत्र मूलचन्द हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
21	प्रमोद पुत्र मूलचन्द हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

22	बाबूलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार
23	जोधराज पुत्र किशनलाल हिस्सा 5/94 जाति बैरवा सा. देह खातेदार
24	नाबालिग प्रवीण पुत्र भैरूलाल संरक्षक माता बसंती बाई हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार
25	बसंतीबाई पत्नि स्व. भैरूलाल हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार
26	राजकुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार
27	वर्षा पुत्री भैरूलाल हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार
28	मोहनीबाई पुत्री हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

किता 2 रकबा 0.94 हे0

प्रतिवादीगण

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	लगान	दिशा
1	गीताबाई पुत्री बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	1261	0.12	1.20	उत्तरी
2	जगदीश पुत्र बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	1262	0.81	8.10	सम्पूर्ण
3	नरेन्द्र पुत्र बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
4	ललितबाई पुत्री बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				

किता 2 रकबा 0.93 हे0

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में मजमेआम सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 27 / 2024 / दावा / बउनवान / रतनलाल बनाम आणंदी वगै0

जीसीएमएस संख्या :– 2024 / 79

निर्णय दिनांक :– **23.05.2025**

बउनवानः–

01. रतनलाल पुत्र मन्ना जी जाति बैरवा निवारी जिला बारां हाल डी. सी. एम. कोटा

..........वादी

बनाम

01. आणंदी पुत्री गोबरया जाती बैरवा
02. आनन्दीलाल पुत्र गोबरया जाती बैरवा
03. केसर बाई पत्नि स्व० बद्रीलाल जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    3/1 नरेन्द्र पुत्र बद्रीलाल
    3/2 ललिता बाई पुत्री बद्रीलाल
    3/3 गीता बाई पुत्री बद्रीलाल
    3/4 जगदीश पुत्र बद्रीलाल
04. किशनलाल पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    4/1 जोधराज पुत्र किशनलाल बैरवा
05. गणपत लाल पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    5/1 जगदीश बैरवा पुत्र गणपत लाल
    5/2 मधु बाई पत्नि गणपत लाल
    5/3 किरण बाई पुत्री गणपत लाल
06. चतुर्भूज पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    6/1 केला बाई पत्नि चतुर्भूज बैरवा
    6/2 हंसराज पुत्र चतुर्भूज बैरवा
    6/3 धनराज पुत्र चतुर्भूज बैरवा
    3/4 राकेश कुमार पुत्र चतुर्भूज बैरवा
    6/5 शशि बाई पुत्री चतुर्भूज बैरवा
    6/6 इन्द्रा बाई पुत्री चतुर्भूज बैरवा
07. दोला पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान
    7/1 केशर बाई बेवा दोला
    7/2 शम्भूदयाल पुत्र दोला
    7/3 प्रेम बाई पुत्री दोला
    7/4 बसन्ती बाई पुत्री दोला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

7/4 राजकुमार पुत्र भैरूलाल पौत्र दोला

08. नारायणी पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान

8/1 मोहनी बाई पुत्री माता नारायणी पिता मोडूलाल बैरवा

8/2 कान्ती बाई पुत्री माता नारायणी पत्नि गोरधन

8/3 लटूरलाल पुत्र माता नारायणी पिता कन्हैयालाल

8/4 राजूलाल पुत्र माता नारायणी पिता कन्हैयालाल

09. मूलचन्द पुत्र गोबरया जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान

9/1 मोहनी पुत्री मूलचन्द बैरवा पत्नि धन्नालाल

9/2 जगन्नाथ पुत्र मूलचन्द बैरवा

9/3 बाबूलाल मालवीय पुत्र मूलचन्द

9/4 प्रमोद कुमार बैरवा

निवासी मांगरोल जिला बारां।

10. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारा।

........प्रतिवादीगण

वकील वादीः– श्री एहतशामुद्दीन/वादी स्वयं
वकील प्रतिवादीगणः–श्री हरिओम यादव/प्रतिवादीगण स्वयं

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

<u>कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा</u>

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके **ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल** का पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः–

वादी

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	लगान	दिशा
1	रतनलाल पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 जाति बेरवा सा. देह खातेदार रहन–हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा मांगरोल	1260	0.87	8.70	सम्पूर्ण
2	आणंदी पुत्री गोबरया हिस्सा 3/47 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	1261	0.07	0.70	दक्षिणी
3	आदन्दीलाल पुत्र गोबरया हिस्सा 3/47 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
4	इंद्राबाई पुत्री चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
5	कैलाशबाई पत्नि स्व. चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
6	कांताप्रसाद पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
7	धनराज पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

8 राकेश पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

9 राशिबाई पुत्री चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

10 हंसराज पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 3/329 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

11 केसरबाई पत्नि स्व. दोला हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

12 प्रेमबाई पुत्री दोला हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

13 शम्भूदयाल पुत्र दोला हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

14 कान्तिबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

15 मोहिनीबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

16 राजूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

17 लटूरलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

18 किरणबाई पुत्री गणपतलाल हिस्सा 3/94 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

19 जोधराज पुत्र गणपतलाल हिस्सा 3/94 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

20 जगन्नाथ पुत्र मूलचन्द हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

21 प्रमोद पुत्र मूलचन्द हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

22 बाबूलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

23 जोधराज पुत्र किशनलाल हिस्सा 5/94 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

24 नाबालिग प्रवीण पुत्र भैरूलाल संरक्षक माता बसंती बाई हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

25 बसंतीबाई पत्नि स्व. भैरूलाल हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

26 राजकुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

27 वर्षा पुत्री भैरूलाल हिस्सा 3/752 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

28 मोहनीबाई पुत्री हिस्सा 3/188 जाति बैरवा सा. देह खातेदार

किता 2 रकबा 0.94 हे0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

प्रतिवादीगण

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	लगान	दिशा
1	गीताबाई पुत्री बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	1261	0.12	1.20	उत्तरी
2	जगदीश पुत्र बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	1262	0.81	8.10	सम्पूर्ण
3	नरेन्द्र पुत्र बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
4	ललितबाई पुत्री बद्रीलाल हिस्सा – 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
		किता 2 रकबा 0.93 हे0			

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
हनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
र्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
ीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बत इजराय हुकमनामा	....			बबत इजराय हुकमनामा	....		
ुतफर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
ीजान	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

अंजना सहरावत(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल